

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा  
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस  
अपील संख्या- एल आर ए/77/2013

उनवान

1. शंकर पुत्र स्व० सोनाथ गुर्जर निवासी देवतलाई तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
2. देवी लाल पुत्र स्व० सोनाथ गुर्जर निवासी देवतलाई तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
3. श्रीमती फूमा पत्नी स्व० सोनाथ गुर्जर निवासी देवतलाई तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटडी जिला भीलवाडा  
....प्रत्यर्थी




अपील अन्तर्गत धारा 75 राज० भू राजस्व अधिनियम  
अपील विरुद्ध आदेश जिला कलक्टर, भीलवाडा  
के प्रकरण संख्या 6/2000 निर्णय दिनांक 28.3.2001

- अभिभाषक :
1. श्री पुनीत शर्मा अधिवक्ता अपीलार्थीगण
  2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता  
आदेश

दिनांक 8.3.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवंटन सलाहकार समिति तहसील कोटडी के द्वारा अप्रार्थी को मौजा छापरेल की

  
भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी  
भीलवाडा

सिलिंग से अधिग्रहित सुदा आराजी नम्बर 1104/1 रकबा 3 बीघा भूमि का दिनांक 15.7.1982 को नियत शर्तों पर कृषि कार्य हेतु आवंटन किया गया लेकिन न तो यह भूमि अप्रार्थी को मौके पर सुपुर्द की गई, न ही उसका कब्जा है व न ही राजस्व रेकार्ड में अंकित की गई है। उक्त आराजी बिलानाम दर्ज रेकार्ड है। इसके बावजूद भी मात्र आवंटन के आधार पर ढालबांछ पर अप्रार्थी के विरुद्ध 800/-रूपये नजराना कायम किया है जो अशुद्ध मांग की तारीफ में आती है। अतः अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण निर्णय दिनांक 28.3.2001 द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी को किया गया आवंटन निरस्त किया।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
4. अपीलार्थीगण ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी संख्या 1 व 2 के पिता तथा अपीलार्थी संख्या 3 के पति सोनाथ गुर्जर को वादग्रस्त आराजी का आवंटन किया गया था। आवंटन के पश्चात सोनाथ जी का तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त अपीलार्थीगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जाकाश्त चला आ रहा है। अपीलार्थीगण को किसान क्रेडिट कार्ड बनाने की आवश्यकता होने से दिनांक 15.3.2013 को पटवारी के वहाँ गये तो अपीलार्थीगण को जानकारी हुई कि अपीलार्थीगण के नाम वादग्रस्त भूमि नहीं होकर बिलानाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। तब अपीलार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी की नकलें प्राप्त की एवं अधीनस्थ



*किश*  
 भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं  
 पदेन राजस्व अधिकारी  
 भिलवाड़ा

न्यायालय के निर्णय की जानकारी होने पर निर्णय की नकल प्राप्त की एवं अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जावे।

5.

अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी संख्या 1 व 2 के पिता तथा अपीलार्थी संख्या 3 के पति सोनाथ गुर्जर को मौजा छापरेल की सिलिंग से अधिग्रहित सुदा आराजी नम्बर 1104/1 रकबा 3 बीघा भूमि का दिनांक 15.7.1982 को नियत शर्तों पर कृषि कार्य हेतु आवंटन किया गया एवं कब्जा सुपुर्द किया गया। तभी से सोनाथ जी का तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त अपीलार्थीगण का वादग्रस्त आराजी पर आज तक कब्जाकाश्त चला आ रहा है। अपीलार्थीगण को किसी प्रकार का नजराना राशि बकाया होने की जानकारी नहीं है एवं न ही कोई बकाया राशि की मांग ही की गई है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

6.

अपीलार्थीगण का यह भी कथन है कि वादग्रस्त आराजी पर आवंटन के पश्चात से आवंटी सोनाथ गुर्जर एवं उनकी मृत्यु के उपरान्त अपीलार्थीगण का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से सोनाथ गुर्जर के नाम वादग्रस्त आराजी को राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं किया गया एवं अपीलार्थीगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं होने की गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। जो पर्चा मौका बनाया गया है उसमें पटवारी हल्का एवं पटवारी के साथ काम करने वाले शंकर लाल के हस्ताक्षर हैं। इसके अलावा पर्चा मौका पर किसी भी व्यक्ति, वादग्रस्त



भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी  
भीलवाड़ा

आराजी के पडौसी के हस्ताक्षर नहीं है। उक्त पर्चा मौका पटवारी ने पटवार घर में बैठकर बनाया है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण के पास आवंटित आराजी के अलावा अन्य कोई आराजियात उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थीगण की आजीविका का स्रोत वादग्रस्त आराजी ही है। अतः आवंटन बहाल रखा जावे। अपीलार्थीगण आज भी नजराना राशि जमा कराने को तैयार है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

8. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि आवंटन सलाहकार समिति तहसील कोटडी के द्वारा अप्रार्थी को मौजा छापरेल की सिलिंग से अधिग्रहित सुदा आराजी नम्बर 1104/1 रकबा 3 बीघा भूमि का दिनांक 15.7.1982 को नियत शर्तों पर कृषि कार्य हेतु आवंटन किया गया लेकिन न तो यह भूमि अप्रार्थी को पैमूद हो सकी, न ही उसका कब्जा है व न ही राजस्व रेकार्ड में अंकित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है।

9. हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया। अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।



भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पटन राजस्व अधिकारी  
भिलवाड़ा

10. आवंटन सलाहकार समिति तहसील कोटडी के द्वारा अप्रार्थी/सोनाथ गुर्जर को मौजा छापरेल की सिलिंग से अधिग्रहित सुदा आराजी नम्बर 1104/1 रकबा 3 बीघा भूमि का दिनांक 15.7.1982 को नियत शर्तों पर कृषि कार्य हेतु आवंटन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी द्वारा यह निवेदन किया गया कि वादग्रस्त भूमि का आवंटन के पश्चात न तो आवंटी का कब्जा है एवं न ही वादग्रस्त आराजी की पैमूदगी ही हो सकी है। राजस्व रेकार्ड में भी कोई इन्द्राज नहीं किया गया है। जिसके आधार पर आवंटी का आवंटन अपीलाधीन निर्णय द्वारा निरस्त किया गया है जो विधिसम्मत है।


11. जहाँ तक नजराना राशि का संबंध है उक्त नजराना राशि नहीं होकर ढालबांछ की राशि है जिसे भी अशुद्ध मांग की श्रेणी में बताया गया है। वादग्रस्त आराजी का आवंटी को आवंटन 1982 में किया गया था। उक्त आवंटन को बहाल कराने के लिए प्रत्यर्थी की ओर से प्रार्थना पत्र 18 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.3.2001 को पारित किया गया था जिसकी अपील भी 12 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। न्यायालय हाजा द्वारा जिसे लिबरल व्यू रखते हुए विलम्ब की अवधि को कण्डोन किया गया है। परन्तु वक्त आवेदन भी आवंटी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं था। उपरोक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

12. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.3.2001 को यथावत रखा जाता है।



भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अंशाल प्राधिकारी  
भीलवाड़ा

13. निर्णय आज दिनांक 8.3.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।



निर्मिषा गुप्ता 8/3/18

( निर्मिषा गुप्ता )

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन  
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा